कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़(छ0ग0)

—:: आदेश ::—

कमांक **10917**/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 19—07—2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को संक्रमण बीमारी घोषित किया है। सारंगढ नगर के मोबाईल दुकान संचालक को कोरोना पाजीटिव होना पाया गया है। मोबाईल दुकान में 200 से 300 लोगों का प्रतिदिन आना जाना है। मोबाईल संचालक के द्वारा बायोमेट्रिक ए.टी.एम का भी संचालन किया जाता है। लोगों का दुकान के साथ साथ बैंक में भी अवागमन है जिसके कारण सारंगढ नगर में कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या बढने की संभावना है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र कमांक 357/स0सा0प्र0वि0/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18—07—2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये रायगढ़ जिले के **सारंगढ़ नगरपालिका संपूर्ण क्षेत्र** में दिनांक 23—07—2020 से 29—07—2020 रात्रि 12:00 बजे तक संपूर्ण सार्वजनिक सभी गतिविधियां प्रतिबंधित किया जाता है।

1— **परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियॉ जिले में प्रतिबंधित/संचालित रहेगी :—**

(1) सारंगढ नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस/सिटी बस/टैक्सी/आटो/ई—रिक्शा की सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

(2) सब्जी का विक्रय सशर्त (समय पूर्ववत् प्रातः 07:00 से प्रातः 10:00 बजे तक प्रतिदिन) की ही अनुमति होगी।

(3) खाद्य पदार्थ, ब्रेड, फल, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विकय/वितरण/भंडारण/परिवहन की अनुमति प्रतिदिन समय प्रातः 07:00 बजे से मध्यान्ह 10:00 बजे तक ही होगी।

(4) मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त— प्रातः 07:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक रहेगी।

(5) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक की ही अनुमति होगी।

(6) अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उससे जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी (जनऔषधि केन्द्र सहित) मेडिकल इक्युपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, इंडियन रेडकास, सोसयटी की सेवायें संचालित रहेंगी। चिकित्सा, नर्स पैरामेडिकल, स्टाफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत स्टाफ एवं सहायक सेवायें संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति होगी।

(7) सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं हास्पिटिलिटी सेवाएं (सेलून/नाई दुकान, मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, क्लब, बार, रिसार्ट, लॉज, कैफे, डिस्कोथीक) बंद रहेंगी, अपवाद—स्वास्थ्य/पुलिस /शासकीय सेवक/ स्वास्थ्यकर्मी /श्रमिक/पर्यटक सहित फंसे हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो, बस डिपो/स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन में संचालित केंटीन को छोड़कर। रेस्टोरेंट/होटल को होम डिलिवरी हेतु अनुमति होगी किन्तु **टेक अवे की अनुमति नहीं होगी।**

(8) व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट—चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ।

(9) सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

(10) सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर (स्पोटर्स काम्पलेक्स), स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन उद्यान (सार्वजनिक पार्क) थियेटर, बॉर तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, साप्ताहिक/हॉट बाजार/मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

Scanned with CamScanner

(11) चाय की दुकान, नास्ता दुकान, चॉट/गुपचुप ठेला, जुस एवं आइस्क्रीम के ठेले एवं फॉस्ट फुड ठेला का संचालन प्रतिबंधित रहेगी।

(12) सभी सामाजिक / राजनैतिक/खेलकूद /मनोरंजन/ शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियॉ एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

(13) सभी धार्मिक स्थान/पूजा के स्थान आम जन के लिए बंद रहेगे। धार्मिक सभाएं कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी।

(14) कृषि संबंधित खाद, बीज, दवाई दुकानें चालू रहेंगी।

(15) बैंकिंग सेवाएं/ए.टी.एम सेवाएं चालू रहेंगी, सोसल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराना शाखा प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी।

(16) अत्यावश्यक सेवाएं रसोई गैस, पेट्रोल पंप, बिजली, पानी, टेलीफोन सेवाएं, फायर ब्रिगेड, डाक सेवाएं की सेवाएं चालू रहेंगी।

(17) प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया की सेवाएं चालू रहेंगी।

(18) मण्डी प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक संचालित रहेगी।

(19) शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाई संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश का पालन करते हुए जारी रखी जा सकती है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना उद्योग प्रबंध कि जिम्मेदारी होगी।

2– व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय :–

(1) <u>**रात्रि कर्फ्यू –**</u> अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही सम्पूर्ण सारंगढ नगर पालिका क्षेत्र में रात्रि 07:00 से प्रातः 07:00 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगी जिसका कड़ाई से पालन किया जावे ।

(2) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं।

(3) कोविड प्रबंधन से संबंधित कार्यालय, राजस्व, कृषि, विद्युत, टेलीफोन, नगर पालिका, स्वास्थ्य, जनपद पंचायत कार्यालय चालू रहेगी शेष शासकीय कार्यालय एवं निजी संस्थान के कार्यालय बंद रहेंगे।

3– सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्ते :–

(1) सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।

(2) दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जाये।

(3) दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।

(4) दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।

(5) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

(6) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

(7) दुकान परिसर में 01–01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियो के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये।

(8) विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

(9) अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियो की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

(10) समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबून एवं पानी की व्यवस्था सुनश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।

दाण्डिक प्रावधान :–

उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों एवं दिशा–निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। **जिले में हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नही होगी।**

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 10917–A/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 19.07.2020

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
2– सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
3– सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
4– सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन,
5– आयुक्त, बिलासपुर सभाग, बिलासपुर
6– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर

–––––की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

7– पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़
9– आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11– उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
12– सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13– सर्व मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14– सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner